उत्तरांचल पावर कारपो[illegible] लि०
[illegible] का उपक्रम)
Uttaranchal Power Corp[illegible]n Ltd.
(A Govt. of Uttaranchal Undertaking)
उर्जा भवन, कॉवली रोड, देहरादून – 248 001, दूरभाष : 91-135-2763672 फैक्स : 91-135-2769771
Urja Bhawan, Kanwali Road, Dehradun - 248 001. Phone : 91 - 135 -2763672 Fax : 91 - 135 -2769771

दिनांक : 27जुलाई,2004

संख्या : 2016 —मा0सं0 / 41का.अनु.ए / ए—6,

कार्यालय ज्ञापन

उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 के ज्ञापांक :1754—मा.सं. / 41का.अनु.ए / ए—6,दि,01—09—2003 के अतिक्रमण में, स्थानीय बर्हिगमन भत्ते [L.O.D.A.] एंव बाहन भत्ते [CONVEYANCE ALLOWANCE] को समेकित करते हुए उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लिमिटेड के कारपोरेट मुख्यालय में कार्यरत ऐसे अर्ह एंव पात्र कार्मिकों, जिन्हें वर्तमान में स्थानीय बर्हिगमन भत्ता / वाहन भत्ता अनुमन्य है, को निम्नांकित तालिका के स्तम्भ—03 में इंगित विद्यमान दरों को स्तम्भ—04 में अंकित पुनरीक्षित दरों के अनुसार स्थानीय बर्हिगमन व्यय प्रतिपूर्ति [Reimbursement of Local Travelling Expenses] नाम से अग्रलिखित शर्तों एंव प्रतिबन्धों के आधीन दिनांक: 01जनवरी,2004 से अनुमन्य किये जाने की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

क्र0 सं0	स्थानीय बर्हिगमन व्यय प्रतिपूर्ति के पात्र अधिकारी / कर्मचारी का संवर्ग	कारपोरेट मुख्यालय पर अनुमन्यता रुपये प्रतिमाह	
		विद्यमान	दि.1—1—04 से
01	—02—	—03—	—04—
01	अधिशासी अभियन्ता एंव उसके समकक्ष अन्य अधिकारी तथा उससे उच्च अधिकारी जिनकी अपनी निजी मोटरकार है ।	560 / —	800 / —
02	निजी स्कूटर / मोटरसाइकिल / मोपेड आदि रखने वाले अधिकारी / अवर अभियन्ता	200 / —	325 / —
03	निगम के कारपोरेट मुख्यालय में तैनात तृतीय श्रेणी के कर्मचारी जिनकी अपनी निजी स्कूटर / मोटर साइकिल / मोपेड है ।	200 / —	325 / —

शर्ते व प्रतिबन्ध :—

1— स्थानीय बर्हिगमन व्यय की प्रतिपूर्ति ऐसे अधिकारी / कर्मचारी को ही अनुमन्य होगी जिनके स्वयं के नाम से वह वाहन पंजीकृत हो जिसके वह पात्र हैं, परन्तु वाहन का पंजीकरण सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी के पति / पत्नि के संयुक्त नाम से न हों । प्रश्नगत वाहन का पंजीकरण उस निगमीय कार्मिक के एकल नाम से होना आवश्यक जिसे निगम कार्यहित में निरन्तर स्थानीय यात्रायें करनी पड़ती हैं ।

2— निगम द्वारा सम्बन्धित कार्मिकों को इन यात्राओं के लिये स्वतन्त्र निगमीय वाहन उपलब्ध कराये जाने की स्थिति उपर्युक्त प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी ।

3— स्थानीय वर्हिगमन व्यय की प्रतिपूर्ति ऐसे अधिकारी / कर्मचारी को भी अनुमन्य होगी जिन्होंने वाहन को स्वयं चल के बजाय अपने व्यय पर चालक रखा [Engage] हो ।

DHIMAN

क्रमशः

4– कारपोरेट मुख्यालय,देहरादून में कार्यरत पात्र कार्मिकों को उपर्युक्त स्थानीय बर्हिगमन व्यय प्रतिपूर्ति की प्रथम स्वीकृति तथा स्थानान्तरण की स्थिति में कारपोरेट मुख्यालय में तैनात होने पर उनके नियन्त्रक अधिकारी की संस्तुति के पश्चात निदेशक (मानव संसाधन) द्वारा प्रशासनिक अनुमोदनोपरान्त स्वीकृत की जाएंगी ।

5– कारपोरेट मुख्यालय,देहरादून में कार्यरत जिन पात्र अधिकारियों एंव अधिकारिकों को स्थानीय बर्हिगमन भत्ता/वाहन भत्ता पूर्वादेशों के अनुसार अनुमन्य है उन्हें स्थानीय बर्हिगमन व्यय प्रतिपूर्ति [Reimbursement of Local Travelling Expenses] के रूप में समाहित होने के कारण उपर्युक्त दरों पर दिनांक 01-01-2004 से दिनांक 31-07-2004 तक अनुमन्य होगा । किन्तु दिनांक 01-08-2004 से यह प्रतिपूर्ति उक्त कमांक-4 में इंगित प्रकियानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त ही अनुमन्य होगी ।

6– नियन्त्रक अधिकारी स्थानीय वर्हिगमन व्यय की प्रतिपूर्ति की अनुमन्यता को सुनिश्चित करेंगे ।

7– इस आदेश के संलग्नक पप्रत्र'अ' में इस व्यय की प्रतिपूर्ति के पात्र अधिकारी व कर्मचारी अपने नियन्त्रक अधिकारी को आवेदन करेंगे ।

8– स्थानीय वर्हिगमन व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति संलग्न प्रपत्र 'ब' में कार्यालय ज्ञाप के प्रारूप अनुसार की जाएगी

9– वेतन अवधि की समाप्ति पर अर्थात् संगत माह, प्रत्येक पात्र अधिकारी/कर्मचारी निर्धारित प्रपत्र 'स' पर अपना प्रतिपूर्ति बीजक [Bill] अपने नियन्त्रक अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे तथा नियन्त्रक अधिकारी भुगतान हेतु वेतन भुगतान कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे ।

10– उक्त व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के पश्चात सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को उनके तैनाती स्थान पर निग कार्यहित में की गई यात्राओं के लिए अन्य कोई भत्ता अथवा भुगतान अनुमन्य नहीं होगा ।

11– इन आदेशों के अन्तर्गत देय यह प्रतिपूर्ति आकस्मिक अवकाश की अवधि को छोड़ कर अन्य अवकाश की अवधि एवं निलम्बन काल में देय नहीं होगा ।

12– पूर्णकालिक विकलांग कार्मिकों को वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ते की अनुमन्यता विषयक कारपोरेशन के ज्ञापांक :17 –मा.सं./41अनु.ए/ए–6,दिनांक :01–09–2003 द्वारा निर्गत आदेश यथावत् प्रवृत्त रहेंगें ।

13– उपर्युक्त आदेश दिनॉक 01 जनवरी 2004 से प्रभावी होंगे ।

संलग्नक :– यथोक्त,

निदेशक मण्डल की आज्ञा

संख्या : 2016 –मा0सं0/41का.अनु.ए/ए–6,तद्दिनांक : 27 जुलाई,2004,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,उ0पा0का0लि0,ऊर्जा भवन,देहरादून ।
2– प्रबन्ध निदेशक,पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तरांचल लि0,देहरादून ।
2– निदेशक(परिचालन/वित्त/मानव संसाधन),उ0पा0का0लि0,ऊर्जा भवन,देहरादून ।
3– कम्पनी सचिव, उ0पा0का0लि0,ऊर्जा भवन,देहरादून ।
4– समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक,उ0पा0का0लि0,ऊर्जा भवन,देहरादून ।
5– समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी, उत्तरॉचल पावर कारपोरेशन लिमिटेड ।
6– समस्त अधिकारी एंव अनुभाग, उ0पा0का0लि0,ऊर्जा भवन,देहरादून ।
7– का0ज्ञा0पंजिका/कट फाइल/मास्टर कट फाइल ।

(डा0 पी0सी0जो
वरिष्ठ कार्मिक अधि

DHIMAN

PROFORMA FOR SANCTION OF REIMBURSEMENT O LOCAL TRAVELING EXPENSES

1 Name of Official ____

2 Designation and place of posting _________________________________

3 Scale of pay ____

4 Duties Assigned ____

5 Full details for R.L.T.E. duties
Required to be performed ____

6- Private vehicle registered in
In the name of the official ____

7- Registration No. ____

8- Request for sanction of ~~L.T.C.~~ R.L.T.E w.e.f. ________________________________

(A certified copy of vehicle Registration is enclosed herewith)
Enclosure: As above

Signature of official

Certified that then above named official id required to perform local official duties by his own conveyance for which Corporation vehicle has not been allotted to him.

Signature &Designation of

Forwarding Officer

Reimbursement of local travelling expenses sanctioned @
Rs...(Rupees.........................) Per month.

Signature & Designation of

Controlling Officer

Uttarakhand Power Corporation Ltd
(Govt. of Uttarakhand Undertaking)
Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun-248001
Phone : 91-135-2763672-75 FAX: 91-135-2769771

पावर कारपोरेशन लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
उर्जा भवन, कांवली
देहरादून – 248001
...372–75, फैक्स 91–135–2769771

संख्या : 2233–नि0(मा0सं0) / उपाकालि / 41का.अनु.ए / ए–6, दिनांक 07 जून,2008

कार्यालय ज्ञापन

कारपोरेशन के ज्ञापांक 2016–मा0सं0 / 41का.अनु.ए / ए–6,दिनांक 27–07–2004 के अनुकम में,उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड के कारपोरेट मुख्यालय में कार्यरत ऐसे अर्ह एंव पात्र कार्मिकों जिन्हें उपर्युक्त आदेशानुसार वर्तमान में "स्थानीय बर्हिगमन व्यय प्रतिपूर्ति" अनुमन्य है, को पूर्वविहित शर्तो एंव प्रतिबन्धों के अधीन निम्नांकित तालिका के स्तम्भ–03 में इंगित संशोधित दरों पर "स्थानीय बर्हिगमन व्यय प्रतिपूर्ति[Reimbursement of Local Travelling Expenses]" अनुमन्य किये जाने की एतदद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र0 सं0	स्थानीय बर्हिगमन व्यय प्रतिपूर्ति के पात्र अधिकारी / कर्मचारी का संवर्ग	कारपोरेट मुख्यालय पर अनुमन्यता (रूपये प्र0माह)
01	–02–	–03–
01	अधिशासी अभियन्ता एंव उसके समकक्ष अन्य अधिकारी तथा उससे उच्च अधिकारी जिनकी अपनी निजी मोटरकार है ।	1120 / –
02	निजी स्कूटर / मोटरसाइकिल / मोपेड आदि रखने वाले अधिकारी / अवर अभियन्ता	455 / –
03	निगम के कारपोरेट मुख्यालय मे तैनात तृतीय श्रेणी के कर्मचारी जिनकी अपनी निजी स्कूटर / मोटर साइकिल / मोपेड है ।	455 / –

उपर्युक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगें तथा स्थानीय बर्हिगमन व्यय प्रतिपूर्ति [Reimbursement of Local Travelling Expenses]अनुमन्यता सम्बन्धी पूर्व निर्गत आदेशों में उल्लिखित शर्ते एंव प्रतिबन्ध यथावत प्रवृत्त रहेंगें।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

निदेशक [मानव संसाधन]

संख्या 2233–नि0(मा0सं0) / उपाकालि / 41अनु'ए' / ए–6,तददिनांकित,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1-- निजी सचिव,सचिव(ऊर्जा) एंव अध्यक्ष,उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लि0,सचिवालय,देहरादून ।
2-- निजी सचिव,प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड,ऊर्जा भवन,देहरादून ।
3-- निजी सचिव,समस्त निदेशक,उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड,ऊर्जा भवन,देहरादून ।
4-- कंम्पनी सचिव एंव उप महाप्रबन्धक(विधिक) उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड,ऊर्जा भवन,देहरादून ।
5-- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक / उप महाप्रबन्धक,उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लि0,ऊर्जा भवन,देहरा
6-- उप महाप्रबन्धक (मानव संसाधन), उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, ऊर्जा भवन,देहरादून ।
7-- उप महाप्रबन्धक(वित्त)के0ले0का0,उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, ऊर्जा भवन,देहरादून ।
8-- उप महाप्रबन्धक (सूचना प्रोद्योगिकी), उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लि0,ऊर्जा भवन,देहरादून ।
9-- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, ऊर्जा भवन,देहरादून ।
10--समस्त अधिकारी एंव अनुभाग, उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, ऊर्जा भवन,देहरादून ।
11--कार्यालय ज्ञापन पंजिका / कट फाइल / मास्टर कट फाइल ।

DHMAN

[डा0पी0सी0जोशी]
उप मुख्य कार्मिक अधिका

(A Govt. of Uttarakhand Undertaking)
Urja Bhawan, Kanwali,
Dehradun - 248001
Phone: 91-135-2763672-75 FAX: 91-135-2769771

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

दूरभाष : 27

संख्या: —निदे0(मा0सं0) / उपाकालि / उ0म0प्र0(औ0सं0एवंका0प्र0) दिनांक 28 –10–2013

कार्यालय ज्ञाप

एतदद्वारा शासनादेश संख्या–1015 / 1 / 2013–05 / 90 / TC/2008 दिनांक 14.06.2013 द्वारा निर्गत आदेशों, ऊर्जा के तीनों निगमों के प्रबन्ध निदेशकों के मध्य दिनांक 14.06.2013 को हुये विचार विमर्श के उपरान्त विभिन्न भत्तों को पुनरीक्षित करने हेतु बनी सहमति एवं निदेशक मण्डल की दिनांक 05.09.2013 को आहूत 62वीं बैठक में एजेन्डा संख्या– 62.06 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0 2233 / नि0(मा0सं0) / उपाकालि / 41का0अनु0ए / ए–6 दिनांक 07 जून, 2008 एवं 2234 / नि0(मा0सं0) / उपाकालि / 41का0अनु0ए / ए–6 दिनांक 07 जून, 2008 द्वारा कारपोरेशन के अर्ह एवं पात्र कार्मिकों, जिन्हें उपरोक्त आदेशानुसार वर्तमान में ''स्थानीय बर्हिगमन व्यय प्रतिपूर्ति'' अनुमन्य है, को पूर्वविहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नांकित तालिका के स्तम्भ–3 एवं 4 में इंगित संशोधित दरों पर ''स्थानीय बर्हिगमन व्यय प्रतिपूर्ति'' (Reimbursement of Local Travelling Expenses) दिनांक 01.08.2013 से अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क्र0 सं0	पात्र अधिकारी / कर्मचारी संवर्ग	देहरादून मुख्यालय पर अनुमन्य दर प्रतिमाह	अन्य ईकाई / कार्यालय पर अनुमन्य दर प्रतिमाह
01	02	03	04
1	अधिशासी अभियन्ता एवं उसके समकक्ष अन्य अधिकारी तथा उससे उच्च अधिकारी जिनकी अपनी मोटर कार है तथा विभागीय वाहन आवंटित नहीं है एवं जो कारपोरेशन कार्यहित में अपने निजी वाहन से स्थानीय यात्रायें करते हैं।	रू0 2400/–	रू0 1800/–
2	निजी स्कूटर / मोटर साईकिल / मोपेड आदि रखने वाले अधिकारी तथा विभागीय वाहन आवंटित नहीं है एवं जो कारपोरेशन कार्यहित में अपने निजी वाहन से स्थानीय यात्रायें करते हैं।	रू0 1500/–	रू0 1150/–
3	अवर अभियन्ता (परिचालन एवं अनुरक्षण कार्यों / राजस्व वसूली / परीक्षण एवं पाली डयूटी में तैनात अवर अभियन्ता को छोड़कर) एवं जो कारपोरेशन कार्यहित में अपने निजी वाहन से स्थानीय यात्रायें करते हैं।	रू0 800/–	रू0 600/–
4	निगम के कारपोरेट मुख्यालय में तैनात तृतीय श्रेणी के कर्मचारी जिनके निजी स्कूटर / मोटर साईकिल एवं मोपेड है एवं जो कारपोरेशन कार्यहित में अपने निजी वाहन से स्थानीय यात्रायें करते हैं।	रू0 800/–	–

उपरोक्त आदेशों में निहित अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या 10186 –नि0(मा0सं0) / उपाकालि / उ0म0प्र(औ0सं0एवंका0प्र0), तददिनांकित,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) एंव अध्यक्ष, उ0पा0का0लि0, सचिवालय, देहरादून।
2. निजी सचिव,प्रबन्ध निदेशक, उ0पा0का0लि0, ऊर्जा भवन, देहरादून।
3. निजी सचिव,समस्त निदेशक, उ0पा0का0लि0, ऊर्जा भवन, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता(स्तर–1) / मुख्य अभियन्ता(स्तर–2) / अधीक्षण अभियन्ता,उ0पा0का0लि0।
5. कम्पनी सचिव एंव उप महाप्रबन्धक (विधि), उ0पा0का0लि0, देहरादून।
6. महाप्रबन्धक(वित्त), उ0पा0का0लि0, ऊर्जा भवन, देहरादून।
7. उप महाप्रबन्धक(वित्त)के0ले0का0 / वितरण / आन्तरिक सम्प्रेक्षा, उ0पा0का0लि0, ...
8. अधिशासी अभियन्ता (सूचना प्रोद्योगिकी), उ0पा0का0लि0, ऊर्जा भवन, देहरादून।
9. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0पा0का0लि0, ...
10. समस्त अधिकारी एवं अनुभाग, उ0पा0का0लि0, ऊर्जा भवन, देहरादून।
11. कार्यालय ज्ञापन पंजिका / कट फाईल।

28.10.13

(के0 बी0 चौबे)
उपमहाप्रबन्धक (औ0सं0 एवं का0प्र0)

उत्तर ावर कारपोरेशन लि0
ण्डसरकार का उपक्रम)
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)
CIN : U40109UR2001SGC025867
Email ID: edhr@upcl.org, Website: www.upcl.org

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

पत्रांक :-1520 अधि0निदे0(मा0सं0)/उपकालि/S-IV/RLTE दिनांक : 04/04/2025

कार्यालय आदेश

एतद्द्वारा निदेशक मण्डल की दिनांक 17–03–2025 को हुई 122वीं बैठक के एजेण्डा संख्या– 122.13 के सापेक्ष लिये गये निर्णय के अनुपालन में उ0पा0का0लि0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2016–मा0सं0/41का0अनु0ए0/ए–6 दिनांक 27.07.2004, ज्ञापांक 2233–नि0(मा0सं0)/उपाकालि/ 41का0अनु0ए0/ए–6 दिनांक 07.06.2008 एवं सपठित कार्यालय ज्ञापांक 10186– नि0(मा0सं0)/उपाकालि/ उ0म0प्र0(औ0सं0एवंका0प्र0) दिनांक 28.10.2013 में संशोधन करते हुये उ0पा0का0लि0 के पात्र कार्मिकों को जिन्हें उपरोक्त आदेशानुसार स्थानीय बर्हिगमन व्यय प्रतिपूर्ति (R.L.T.E.) अनुमन्य है, को पूर्वविहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न तालिका के स्तम्भ–3 एवं स्तम्भ–4 में इंगित संशोधित दरों पर स्थानीय बर्हिगमन व्यय प्रतिपूर्ति (Reimbursement of Local Travelling Expenses) अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति की जाती है:–

क्र0सं0	पात्र अधिकारी/कर्मचारी संवर्ग	देहरादून मुख्यालय पर अनुमन्य दर प्रतिमाह (रू0)	अन्य इकाई/कार्यालय पर अनुमन्य दर प्रतिमाह (रू0)
1	2	3	4
1.	अधिशासी अभियन्ता एवं उसके समकक्ष अन्य अधिकारी तथा उससे उच्च अधिकारी जिनकी अपनी मोटर कार है तथा विभागीय वाहन आवंटित नहीं है एवं जो कारपोरेशन कार्यहित में अपने निजी वाहन से स्थानीय यात्रायें करते हैं।	रू0 3600/–	रू0 2700/–
2.	निजी स्कूटर/मोटर साईकिल /मोपेड आदि रखने वाले अधिकारी तथा विभागीय वाहन आवंटित नहीं है एवं जो कारपोरेशन कार्यहित में अपने निजी वाहन से स्थानीय यात्रायें करते हैं।	रू0 2250/–	रू0 1725/–
3.	अवर अभियन्ता (परिचालन एवं अनुरक्षण कार्यों/राजस्व वसूली /परीक्षण एवं पाली डयूटी में तैनात अवर अभियन्ता को छोड़कर) एवं जो कारपोरेशन कार्यहित में अपने निजी वाहन से स्थानीय यात्रायें करते हैं।	रू0 1200/–	रू0 900/–
4.	निगम के कारपोरेट मुख्यालय में तैनात तृतीय श्रेणी के कर्मचारी जिनके निजी स्कूटर /मोटर साईकिल एवं मोपेड है एवं जो कारपोरेशन कार्यहित में अपने निजी वाहन से स्थानीय यात्रायें करते हैं।	रू0 1200/–	–

क्रमशः .... (2)

उक्त आदेश दिनांक 01–04–2025 से प्रभावी होगें। उपरोक्त सन्दर्भित आदेशों में निहित अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत प्रवृत्त रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पत्रांक :– 1520 –अधि0निदे0(मा0सं0) / उपाकालि / S-IV / RLTE तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. स्टाफ आफिसर– I, प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. समस्त निदेशक (परियोजना / परिचालन / वित्त) उपाकालि, वि0क्रा0वि0ग0 सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
3. समस्त अधिशासी निदेशक, उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता, (वितरण) (स्तर– I / II), / उपाकालि, ...
5. समस्त महाप्रबन्धक (वित्त) उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
6. कम्पनी सचिव एवं महाप्रबन्धक (विधि), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
7. समस्त उपमहाप्रबन्धक (वित्त), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
8. समस्त अधीक्षण अभियन्ता / उपमहाप्रबन्धक उपाकालि ....
9. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उपाकालि ....
10. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0) को उपाकालि की वैबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. कार्यालय ज्ञापन पंजिका / कट फाईल।

(डॉ0 आर0 जे0 मलिक)
अधिशासी निदेशक (मा0सं0)